हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : राजस्थान में हाईवे से हटेंगे शराब के ठेके

'हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने में हटाये जाए'

- राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया
- राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने हाईवे को लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर बना डाला
- कोर्ट ने हाल ही में जयपुर के हरमाड़ा (15 मौतें) और फलोदी (15 मौतें) में हुए भीषण सड़क हादसों का हवाला देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो रहा है

जोधपुर। राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने म्युनिसिपल एरिया की आड़ में हाईवे को लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे ये ठेके नगरपालिका या शहरी सीमा में ही क्यों न आते हों, अगर ये हाईवे पर है, तो इन्हें हटाना ही होगा। यह फैसला प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों और ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों को देखते हुए दिया गया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि प्रदेश में कुल 7665 शराब की दुकानों में से 1102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर है। सरकार की दलील थी कि ये दुकानें आबादी/नगरपालिका क्षेत्र में आती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की छूट के दायरे में है। सरकार ने यह भी बताया कि इन 1102 दुकानों से राज्य को सालाना करीब 2221.78 करोड़ रुपए का भारी-भरकम राजस्व मिलता है।

हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मजाक बना दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। 2200 करोड़ रुपए के राजस्व के लिए हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। प्रदेश में करीब 7765 शराब की दुकानें हैं। इनसे विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17 हजार 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित हुआ था। यह प्रदेश में किसी सरकारी विभाग में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। कोर्ट ने बताया कि 2025 में अब तक ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में करीब 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2025 तक ऐसे 43,788 मामले सामने आ चुके हैं। कोर्ट ने हाल ही में जयपुर के हरमाड़ा (15 मौतें) और फलोदी (15 मौतें) में हुए भीषण सड़क हादसों का हवाला देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में 2 टूक निर्देश दिए हैं

500 मीटर का दायरा :- नेशनल या स्टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी शराब की दुकान संचालित नहीं होगी। सरकार को ये 1102 दुकानें 2 महीने के भीतर शिफ्ट करनी होंगी। शराब का कोई भी होर्डिंग या विज्ञापन हाईवे से दिखाई नहीं देना चाहिए। अगली सुनवाई 26 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें आबकारी आयुक्त को पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी।

3.20 करोड़ का डोडा-चूरा जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार

आसींद पुलिस ने ट्रक से अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

- ट्रक से 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त किया
- ट्रक में ऊपर कपास काकड़ा (कॉटन शीड्स) के कट्टे भरे थे, जिसकी आड़ में नीचे छिपाकर रखे गए अफीम डोडा-चूरा के कट्टे मिले

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के आसींद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना आसींद ने नेशनल हाईवे 158 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 20 लाख है। इस दौरान पुलिस ने तस्करी में शामिल तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा धर्मेन्द्र सिंह के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर सहाडा बुधराज खटीक के निर्देशन और पुलिस उप अधीक्षक वृत आसीन्द ओमप्रकाश सोलंकी के सुपरविजन में, थानाधिकारी आसींद हंसपाल सिंह उ.नि. के नेतृत्व में एक टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

कस्बा आसींद में नेशनल हाइवे-158 पर सवाईभोज पेट्रोल पम्प के पास थानाधिकारी हंसपाल सिंह मय जाप्ता द्वारा नाकाबंदी कर वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। भीलवाड़ा की तरफ से आए एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। चालक और उसके दो साथी भरे हुए माल के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। शंका होने पर ट्रक को सर्विस रोड पर लाकर नियमानुसार चैकिंग की गई। ट्रक में ऊपर कपास काकड़ा (कॉटन शीड्स) के कट्टे भरे थे, जिसकी आड़ में नीचे छिपाकर रखे गए अफीम डोडा-चूरा के 103 कट्टे मिले। मापतौल करने पर 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम डोडा चूरा पाया गया, जिसे तस्करी में प्रयुक्त ट्रक सहित जब्त कर लिया गया।

थाना प्रभारी हंसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया गया है। पुलिस ने देवेंद्र पिता मोहनलाल दांडी, पारस पिता चीना राम के साथ बंशीर पिता हमजा खान को गिरफ्तार किया।

कोटा : तिलम संघ का जी.एम. तीस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

एसीबी बारां की टीम ने तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

- तिलम संघ के महाप्रबंधक ने परिवादी से न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में 1.45 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी

कोटा, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) बारां की टीम ने बुधवार दोपहर कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए तिलम संघ के जी.एम. (महाप्रबंधक) रमेश चंद बैरागी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तिलम संघ के महाप्रबंधक न्यूनतम समर्थन मूल्य का खरीद केंद्र आवंटन करने की एवज में लाखों रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। पहली किस्त के 30 हजार रुपए लेते हुए उन्हें एसीबी की टीम ने पकड़ लिया।

एसीबी बारां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा ने बताया कि बारां जिले के पलायथा निवासी एक परिवादी ने शिकायत की थी कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र संचालित करना चाहते हैं और इसके लिए तिलम संघ में आवेदन किया था। खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी ने उनसे 1.45 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। कालूराम वर्मा ने बताया कि मंगलवार को परिवाद का सत्यापन कराया गया जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद बुधवार को ट्रैप टीम गठित की गई। परिवादी ने पहली किस्त के रूप में 30 हजार रुपये महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रावतभाटा रोड़ स्थित तिलम संघ कार्यालय में दिए। इसी दौरान एसीबी की टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वत की राशि भी मौके से बरामद कर ली गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी रमेश चंद बैरागी के ठिकानों पर भी एसीबी की टीमें रवाना की गई हैं, जहां तलाशी और आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाएगी।

नाबालिग को बालश्रम से मुक्त करवाया

सीकर, (निसं)। जिला प्रशासन एवं जिला टास्क फोर्स की सख़्ती से दादिया थाना पुलिस द्वारा एक होटल से 14.5 वर्षीय नाबालिग को बालश्रम से मुक्त करवाया गया। यह कार्रवाई दादिया थाना पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं गायत्री सेवा संस्थान की संयुक्त पहल के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान दादिया थाना से बाल कल्याण अधिकारी रोहिताश कुमार, तथा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस एवं गायत्री सेवा संस्थान की ओर से फील्ड कोऑर्डिनेटर अभिषेक बगडियां तथा जितेंद्र नाथवतपुरा सक्रिय रूप से मौजूद रहे। रेस्क्यू किए गए बालक से प्रतिदिन 10-12 घंटे तक मजदूरी करवाई जा रही थी। रेस्क्यू के उपरांत बालक को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंकुर बहड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे कस्तूरबा सेवा संस्थान, भादवासी में अस्थाई आश्रय प्रदान किया गया।

77 ई-मित्र कियोस्क का निरीक्षण

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में कई जगहों पर ई मित्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला कार्यालय ने 77 ई-मित्र कियोस्क का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर कई कियोस्क बंद किए गए और संबंधित धारकों पर जुर्माने भी लगाए गए।

संयुक्त निदेशक नवीन माथुर ने बताया कि ओसियां की सुनीता को ई-मित्र धोखाधड़ी में दोषी पाते हुए कियोस्क को स्थायी रूप से बंद करने की अनुशंसा की गई है। चामू के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के भेर सिंह देवड़ा, महाजन का बास के प्रीति और सवाई किशन राठी, सेखाला बस स्टैंड के कुम्भा राम और जगदीश कुमार के कियोस्क बंद पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया।

सेखाला के गड़ा के केवल राम को कियोस्क की गलत जगह के कारण और बावड़ी के राजीव गांधी सेवा केन्द्र के छैल सिंह को सेवा अस्वीकृति पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा। श्याम मनोहर नगर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के दीपक सैन और जगदीश पर को-ब्राण्ड व आईडी कार्ड त्रुटियों के लिए 7 दिन कियोस्क बंद और 5000 रुपये जुर्माना लगाया गया। पाल बालाजी मंदिर के सामने शिवराम चौधरी को आईडी कार्ड, को-ब्राण्ड और अधिक वसूली की अनियमितताओं के लिए 15 दिन कियोस्क बंद और 5000 रुपये का जुर्माना किया गया। बिलाड़ा बस स्टैंड पर घनश्याम पटेल को आईडी कार्ड, सेवा अस्वीकृति, को-ब्राण्ड व अधिक वसूली के लिए 15 दिन कियोस्क बंद रखने का दंड मिला।

सेवानिवृत अधिकारी को झांसा देकर 9.41 लाख की ठगी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सेवानिवृत हुए सहायक अधिकारी को धन दुगुना करने के नाम पर शातिरों ने झांसे में लेकर 9.41 लाख की ठगी कर ली। सायबर ठगी का अहसास होने पर रिटायर्ड अधिकारी ने शिकायत दी तब 1.99 लाख होल्ड करवाए गए, मगर शेष रकम डूब गई। उन्होंने अब महामंदिर थाने में धोखाधड़ी में रिपोर्ट दी है।

जानकारी के अनुसार सी-107 पावटा स्थित धर्मनारायण का हत्था में रहने वाले नवीनचंद्र कौशिक की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला सेशन न्यायालय) से सहायक अधिकारी के रूप में 30 अगस्त 25 को सेवानिवृत हुए थे। सरकारी नौकरी में रहते उनके परिलाभ जीपीएफ की राशि 11 लाख रूपए 16 अक्टूबर 25 को खाते में जमा हुई थी। उसी दिन मोलिक नाम के एक शख्स का कॉल आया कि वह गुजरात की कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत है और उसकी कंपनी में निवेश के लिए कहा। उसने कहा कि धन निवेश पर एक माह में धन दोगुना कर दिया जाएगा।

इस पर नवीनचंद्र ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। मगर कुछ रोज बाद में उनके पास में प्रदीपसिंह नाम के शख्स का कॉल आया और कहा कि उसने मोलिक के स्थान पर मैनेजर का पद संभाला है और वह धन दुगुना करने की बात कहने लगा। उसकी बातों में आए सेवानिवृत नवीनचंद्र ने 16 अक्टूबर 25 को उसके बताए खाते में 75 हजार रूपए निवेश किए, फिर 17 अक्टूबर को 2.50 लाख जमा कराए गए। यह रूपए भदोई की आइडीएफसी शाखा में जमा कराए गए।

बाद में उसने अपने एकाउंटेंट रतनेश गुप्ता के नंबर भी दिए जिस पर अनिता शाह नाम की महिला के खाते में 3.66 लाख रूपए जमा कराए गए। पीड़ित नवीनचंद्र कौशिक ने बताया कि बाद 18 अक्टूबर को जब प्रदीप सिंह को कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया, फिर उसने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। इस पर रिटायर्ड नवीनचंद्र को ठगी का अहसास होने पर उन्होंने पुलिस लाइन पहुंच कर सायबर ठगी की शिकायत दी। इस पर पुलिस ने 1 लाख 99 हजार 818 रूपए होल्ड करवाए, मगर शेष रकम आज तक नहीं मिली। अब उनकी तरफ से महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई है।

राजस्थान से सिम एक्टिवेट कराकर दूसरे देशों में भेजी, तीन गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निसं)। पुलिस ने तीन सायबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग राजस्थान में सिम एक्टिवेट करवाकर साउथ-ईस्ट देशों के ठगों को बेच देते थे। ये आरोपी सायबर ठगी की बैंक में होल्ड पड़ी रकम निकलवाने के भी माहिर थे। फर्जी मोहरे और लेटर पेड बना कर बैंक से होल्ड रकम निकलवा लेते। ये ठगी के रुपयों से चांदी खरीद रहे थे। इनके पास पुलिस को 21 किलो की चांदी और 21 लाख कैश बरामद हुआ है। इस मामले में श्रीगंगानगर में एक मुकदमा एयरटेल कंपनी ने दर्ज कराया, जबकि दो मुकदमे पुलिस ने खुद दर्ज किए। एक मुकदमा घड़साना थाने में और एक मटीली राठान थाने में दर्ज हुआ था। बुधवार को एसपी अमृता दुहन ने तीन सायबर ठगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।

एसपी अमृता दुहन ने बताया कि मामले में चंद्र कुमार, संदीप चौहान व दीपक के रूप में पहचान हुई है। तीनों बदमाश श्रीगंगानगर शहर के रहने वाले हैं। इनके पास से 90 चेक बुक, 13 बैंक पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, 44 एक्टिव सिम कार्ड, लोगों के आधार, पैन व जन आधार कार्ड, 12 रबर स्टाम्प मोहरे, 23 बिल बुक, लैपटॉप, फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर व डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। आरोपियों का बड़ा नेटवर्क है जो लोगों को झांसे में लेकर सायबर ठगी करते थे। इनसे पूछताछ कर नेक्सस की जानकारी जुटाई जा रही है।

एसपी ने बताया कि तीनों आरोपी बैंक अकाउंट को खरीदने और बेचने का काम भी करते थे, जिससे उन्हें बड़ा प्रॉफिट होता था। आरोपियों ने बताया है कि इनका सायबर ठगी करने वाला बड़ा नेटवर्क है। आरोपी गरीब लोगों को ढूंढ कर उनके एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, चेकबुक और एक्टिव सिम कार्ड ले लेते थे। जिसके बाद उनके किट बनाकर बड़े सायबर ठगों को प्रोवाइड कराते थे। फिर वह ठग बड़े स्तर पर इन गरीबों के बैंक एकाउंट्स में सायबर ठगी के पैसे का लेनदेन करते थे। आरोपी एक व्यक्ति की किट 50 हजार में बेचते थे। लोगों को दो-तीन हजार का प्रलोभन देकर उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते थे और उनके नाम से सिम एक्टिव करवा ली जाती थी।

एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने कुछ बड़े एकाउंट्स के साथ सायबर फ्रॉड भी किया था। जिनके बैंक अकाउंट्स बैंक ने होल्ड कर दिए थे। इन बैंक अकाउंट्स को होल्ड में से निकलवाने के लिए आरोपियों ने फर्जी मोहर, जीएसटी नंबर और कई प्राइवेट कंपनियों की लेटर पैड बनवा रखी थी। आरोपी फर्जी लेटर पैड बनाकर बैंक में जाते और होल्ड हुए अकाउंट को एक्टिवेट करवा लेते। इसके बाद वह बैंक द्वारा होल्ड किए गए पैसे आसानी से निकलवा लेते।

एसपी ने बताया कि पिछले कुछ समय से साउथ ईस्ट कंट्री (कम्बोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया) में भारत के सिम एक्टिवेट हो रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे देश में सायबर फ्रॉड हो रहा है। एसपी ने बताया कि जब भी कोई कस्टमर किसी भी कंपनी की सिम लेने जाता है तो एजेंट वेरिफिकेशन के लिए बार-बार ओटीपी और फिंगरप्रिंट लगवाता है। इसके बाद एक बार ही में कई सिम एक्टिवेट हो जाती है। कस्टमर को सिर्फ एक ही सिम दी जाती थी और बाकी सिम में अर्जेंट खुद एक्टिवेट कर इन्हें आगे भेज देते थे। जिसके बाद सायबर ठग इन एक्टिवेट सिमों से देश भर में सायबर ठगी करते थे। बिहार पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

30 साल की महिला से दुष्कर्म

सीकर, (निसं)। सीकर जिले में 30 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने झुग्गी में घुसकर महिला पानी में नशीला पदार्थ पिलाया, फिर रेप किया। इतना ही नहीं इस दौरान आरोपी के साथी ने महिला का अश्लील वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि 24 नवंबर की दोपहर को तीन बजे आरोपी युवक नशे में धुत होकर उसकी झुग्गी में आया। उसने बच्चों और पिता के सामने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद मारपीट कर रेप किया। आरोपी के एक साथी ने महिला का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के वक्त वहां अन्य भी कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने आरोपी को नहीं रोका। इस दौरान आरोपी महिला की झुग्गी से 50 हजार रुपए भी लूटकर ले गया। महिला ने तीन नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।

दंपती की कार दुर्घटना में मौत

जोधपुर, (कासं)। निकटतर्वी मथानिया के उम्मेद नगर में रात एक बजे सड़क हादसे में दंपती की दर्दनाक मौत हो गई। दंपती रात को जोधपुर में शादी अटेण्ड कर अपने गांव ओसियां लौट रहा था, तब यह हादसा हुआ। पुलिस ने आज सुबह शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजन को सुपुर्द किया। बताया जाता है उनकी कार एक ट्रक से जा भिड़ी जोकि गाजरों से लदी थी। ट्रक भी पलटी खा गया। कार के सामने नील गाय का आना बताया जाता है।

मथानिया थानाधिकारी कैलाशी ने बताया कि ओसियां के लड्ढों का बास निवासी जितेंद्र सोनी (28) और उसकी पत्नी पायल सोनी (25) रात को जोधपुर में शादी में शामिल होकर अपने गांव की तरफ से लौट रहे थे। रात एक बजे के आस पास यह लोग जब मथानिया के उम्मेद नगर की सरहद में पहुंचे तब कार किसी नील गाय को बचाने के प्रयास में गाजर से भरे ट्रक उनकी कार से जा भिड़ी, हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मथानिया सीएचसी पहुंचाया। आज सुबह शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजन को सुपुर्द किया गया। थानाधिकारी कैलाशी ने बताया कि मौके से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया गया है। अग्रिम जांच की जा रही है। ट्रक चालक के बारे में पता लगाया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में भीषण आग लगी, 50 से ज्यादा दुपहिया वाहन जले

कोटा में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई।

- एक साथ पहुंची चार फॉयर ब्रिगेड ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया
- शोरूम में करीब 50 से 60 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक व स्कूटर खड़े थे, आग की चपेट में आ गए

कोटा, (निसं)। शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के 80 फीट रोड़ पर बुधवार सुबह एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस आग के चलते 50 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर व बाइक व अन्य सामान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। मौके पर पहुंची चार दमकल ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया।

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि आग की सूचना सुबह 7.20 बजे लगी थी। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी जिसके बाद फायर विभाग को सूचना मिली। तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए सब्जीमंडी और श्रीनाथपुरम फायर स्टेशन से दमकल गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। एक साथ पहुंची चार फॉयर ब्रिगेड ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया। सुबह 8.30 बजे तक आग पूरी तरह से खत्म हो गई। इस शोरूम में करीब 50 से 60 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक व स्कूटर खड़े थे। सभी आग की चपेट में आ गए। शोरूम में रखे हुए अधिकांश सामान जलकर राख हो गए।

इस मामले में प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के जरिए लगी है। आगे पूरी कार्रवाई की जा रही है।

फायर एनओसी से लेकर सभी दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा फॉयर फाईटिंग की क्या व्यवस्था थी इस मामले में भी जांच की जाएगी। राकेश व्यास ने बताया कि यह शोरूम करीब 2000 स्क्वायर फीट एरिया में दो मंजिला बना हुआ है जिसमें भूतल पर शोरूम को विजय कुमावत संचालित करते हैं। शोरूम में अलग-अलग जगह पर वाहन रखे थे। आग शोरूम के अंदर ही लगी और धीरे-धीरे पूरे शोरूम को चपेट में ले लिया। जब बाहर धुआं निकला तब स्थानीय लोगों व राहगीरों ने इसे देखा। एहतियातन पुलिस ने 80 फीट रोड़ पर कुछ देर यातायात को भी बंद रखा। इस शोरूम के ऊपर की तरफ जिम है जिसमें नुकसान नहीं हुआ है। दमकल समय पर पहुंच गई थी इसलिए आग पर काबू पा लिया गया है।

राकेश व्यास ने बताया कि अग्निशमन कर्मचारियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया। उन्होंने आग को आसपास पहुंचने से रोका। हालांकि पास के ही एक शोरूम में भी आग की लपटें पहुंच गई थी, जिसमें उन्होंने वहां पर खड़े हुए ई-रिक्शा को चपेट में ले लिया। करीब एक दर्जन के आसपास ई-रिक्शा को नुकसान पहुंचा है। इनमें से कुछ जल भी गए हैं। शेष को तत्काल बाहर निकाल लिया गया था। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई हैं।

कार्यालय जिला कलक्टर, जालोर (राज.)

क्रमांक / लेखा/बोली/2025/1286 दिनांकः 26/11/2025

निविदा सूचना

इच्छुक बोलीदाताओं से RRCMS प्रोजेक्ट लागू किये जाने के तहत हार्डवेयर क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित सदभावी पंजीकृत फर्मो / व्यवसायियों / डीलरों से खुली बोली दर संविदा हेतु बोलियां दिनांक 05.12.2025 दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित अन्य विवरण राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http//sppp.rajasthan.gov.in एवं https//eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBNCJL2526GLOB00026

अतिरिक्त जिला कलक्टर जालोर

DIPR/C/17466/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि नगर खण्ड बीकानेर

क्रमांक-2517 दिनांक-20/11/2025

Notice Inviting Bid: 23/2025-26

Bid for the Various Civil Works" are invited from interested bidders from 19.11.2025 [09:30 AM to 01.12.2025 [06:00 PM] & Open date 02.12.2025 [11:00 AM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www.pwd.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 253.55 Lakh.

UBN No.: PWD2526WSOB17340, PWD2526W50B17341, PWD2526WSOB17342, PWD2526WSOB17343, PWD2526WSOB17344

Executive Engineer PWD City Division, Bikaner

DIPR/C/17298/2024

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

ई-बोली आमन्त्रण सूचना

इच्छुक बोली दाताओं से 36 केवी करंट ट्रांसफार्मर (0.2s क्लास) के विभिन्न अनुपात और 36 kV पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर (0.2 क्लास) (वीएन-9015002521 यूबीएन - VPN2526GLRC02279) की खरीद हेतु ऑनलाइन बोली आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत एनआईबी और बोली दस्तावेज / विनिर्देश वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखने एवं डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध हैं। एनआईबी का विवरण वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in/rrvpn पर उपलब्ध है।

बोली खोलने की तिथि में संशोधन की सूचना http://eproc.rajasthan.gov.in (energy.rajasthan.gov.in/rrvpn एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर ही प्रकाशित की जायेगी।

रा.रा.वि.प्र.नि. / TR-7263/2025

राज.संवाद / सी / 25 / 14650 अधीक्षण अभियन्ता (क्रय-I)

कार्यालय नगर परिषद्, ब्यावर

Tel No. 01462-258665, 257509 Email - npbeawar@gmail.com

क्रमांक / न.प.ब्या / भण्डार / 2025-26 / 9528 दिनांक 18.11.2025

ई-दर संविदा सूचना

निम्नांकित विवरणानुसार दिनांक 01.12.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान पर सेवाओं का उपापन हेतु ई दर संविदाए आमंत्रित की जाती है। ई-दर संविदा फार्म ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान तथा एसपीपी पोर्टल राजस्थान से डाउनलोड कर उपयोग में लेने है। कार्यालय से फार्म विक्रय नही किये जावेंगें। विस्तृत शर्ते ई-दर संविदा फार्म में संलग्न है

क्रं. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	ई दर संविदा फार्म शुल्क	ई दर संविदा प्रोसेसिंग शुल्क
1	Scanning and digitization work of Municipal Records	40,00,000	80]000	1000	500

NIB - DLB2526A8216

UBN - DLB2526SLOB24600

प्रशासक नगर परिषद्, ब्यावर — आयुक्त नगर परिषद्, ब्यावर

राज.संवाद / सी / 25 / 14640

Visit us: www.mpuat.ac.in; Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com; Mo. No.: 8112207969/9414389929

कृषि अनुसंधान केन्द्र, दाहोद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327 001

(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)

क्रमांक: एफ( )/कृअके/2025-26/203-206 दिनांक: 24/11/2025

निविदा सूचना (2025-26)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाडा, के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक / ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक / ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 03.12.25 प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 11.30 बजे तक जमा की जाकर मध्याहन 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
फल अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा एवं CAMSA Project में कृषि कार्य	3,92,200 / -	8000 / -	500 / -

संभागीय निदेशक अनुसंधान